न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 157/2017

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कर्मजीत कौर पत्नी श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री किकर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. रमनदीप कौर पत्नी श्री खुशविन्द्र सिंह पुत्री श्री गुरदयालसिह जाति जटसिख साकिन 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 11-09-2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि

प्रतिवादी संख्या 1, वादी संख्या 1 का पिता व 2 का पति है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 वादी संख्या 1 की बहिन व 2 की पुत्री है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 1 एफ छोटी का खाता संख्या 23/15 का मुरब्बा नम्बर 1 में 1.644 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, इसी चक के खाता संख्या 18/11 का मुरब्बा नम्बर 1 में 1.899 हैक्टर कृषि भूमि, इसी चक के खाता संख्या 100/29 का मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टर में से 0.481 हैक्टर कृषि भूमि व चक 11 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 में 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की विरास्तन प्राप्त, पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई सम्पत्ति है जो कि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। नकल जमाबन्दीयां व इन्तकाल संलग्न वाद पत्र है।

उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादीया संख्या 2 का वादीगण से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उसने अपना हिस्सा वादीगण को देने के लिए कहा हुआ है तथा अपने हिस्सा का मौखिक हक परित्याग किया हुआ है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादीगण के साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादीगण को चक 11 एच.एच. के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मे से 2/3 हिस्सा वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्सा वादीया संख्या 2 को घरू बंटवारा में दी हुई है, जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहें है तथा मौका पर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देगें। इस विश्वास पर वादीगण ने उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है।

कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 15.07.2017 प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद कारण है। उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है। इसलिए यह दावा लाना जरूरी हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. चक 11 एच.एच. के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मे से 2/3 हिस्सा का वादी संख्या 1 को व 1/3 हिस्सा की वादीया संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादीगण की पहचान श्री संजय कुमार जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादीगण को घरू बंटवारानामा अनुसार निम्न प्रकार से उनका हिस्सा दे दिया है :–

1. वादी सुखदेव सिंह का हिस्सा :– चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 में 6.174 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.036 हैक्टर नहरी भूमि।
2. वादिया कर्मजीत कौर का हिस्सा :– चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 में 6.174 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। प्रतिवादीया संख्या 2 अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने हिस्सा का हक परित्याग करती हैं, उक्तानुसार वाद डिक्री कर दिया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेष कर कथन किया कि वादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 गुरदयालसिंह के नाम से तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 एफ छोटी का खाता संख्या 23/15 का मुरब्बा नम्बर 1 में 1.644 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, इसी चक के खाता संख्या 18/11 का मुरब्बा नम्बर 1 में 1.899 हैक्टर कृषि भूमि, इसी चक के खाता संख्या 100/29 का मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टर में से 0.481 हैक्टर कृषि भूमि व चक 11 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 में 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। वह जद्दी जायदाद है जिसमे वादीगण द्वारा अपनें हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करना न्यायोचित है।

– :: आदेश ::–

अतः वाद में वर्णित उक्त आराजी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी है में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादी संख्या 1 सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 में 6.174 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.036 हैक्टर नहरी भूमि तथा वादी संख्या 2 कर्मजीत कौर पत्नी श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 में 6.174 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11-09-2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर